

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प. 1(7)नविवि/11/1994

जयपुर दिनांक 29 AUG 2019

—: आज्ञा :—

नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के निम्नांकित अधिकारी द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:—

क्र.स.	नाम एवं पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री अनिल शर्मा अधिशायी अभियंता	01.09.1959	31.08.2019	

यह प्रमाणित किया जाता है कि नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के श्री अनिल शर्मा, अधिशायी अभियंता के विरुद्ध आज दिनांक तक:—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।

आज्ञासे,



(कन्हैया लाल स्वामी)
शासन संयुक्त सचिव-प्रथम

प्रतिलिनि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा। / व. शा. उपसचिव की अपरकोरडेड।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्योतिनगर, जयपुर।
5. श्री अनिल शर्मा, अधिशायी अभियंता, नगर विकास न्यास, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(कैलाश चन्द्र कुमावत)
शासन सहायक सचिव-द्वितीय